



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1777]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 18, 2018/वैशाख 28, 1940

No. 1777]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 18, 2018/VAISAKHA 28, 1940

सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मई, 2018

का.आ. 1969(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में तदनुरूपी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग के कॉलम (2) में यथानिर्दिष्ट खंड के अनुसार निम्नलिखित सारणी के कॉलम (3) में यथा-विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, नामत:-

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग खंड	खंड किमी में
(1)	(2)	(3)
"161"	संगारेड्ही-तेलंगाना/ महाराष्ट्र सीमा (तेलंगाना राज्य में)	140 किमी (तेलंगाना राज्य में संपूर्ण खंड)

[फा.सं. एनएच-14013/9/2014-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th May, 2018

S.O. 1969(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highway as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:-

TABLE

National Highway No.	Section of National Highway	Stretch in Kilometers
(1)	(2)	(3)
“161”	Sangareddy-Telangana/Maharashtra border (In the State of Telangana)	140 Km (Entire Stretch in the State of Telangana)

[F. No. NH-14013/9/2014-P&M]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मई, 2018

का.आ. 1970(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अध्यधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), दिनांकित 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, नामत:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 34 के लिए तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, नामत:-

सारणी

(1)	(2)	(3)
“34”	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 [किमी 9.4 से किमी 22.300 (हैदराबाद - बंगलुरु खंड], सं. 9 [नई रारा 65 के किमी 40.00 से आ. प्र. सीमा और किमी 423.800 से किमी 493.000 (कर्नाटक सीमा-सांगारेड्डी खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 16, (नई रारा सं. 63), नई रारा सं. 163 [किमी 18.600 से किमी 150.00 (हैदराबाद – यादगिरी – वारंगल खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 221 (नई रारा सं. 30) [किमी 71.200 से किमी 121.00 (आ. प्र. सीमा से रुद्रमपुर खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 222 [नया रारा सं. 61] महाराष्ट्र सीमा से जागतियाल (नई रारा 44)], {[किमी 615.00 से किमी 668.60 तक खंड को छोड़कर}] महा./आ. प्र. सीमा कल्याण –निर्मल खंड), नई रारा सं. 167, नई रारा सं. 353सी [सिरोंचा (महाराष्ट्र सीमा) से आत्माकुर (नई रारा सं. 163) तक], नई रारा सं. 565 [आ. प्र. सीमा – नलगोंडा- नकरेक्कल (नई रारा 65 तक)], नई रारा सं. 765 [किमी 23.00 से किमी 108.800 (हैदराबाद – डिंडी खंड) तक खंड को छोड़कर}, नई रारा सं. 365 {[किमी 72.60 से किमी 121.00 (तन्नमचेरला – जमंडलापल्ली खंड) और किमी 154.00 से किमी 187.00 (मंगलवारपेट- मल्लमपल्ली खंड) तक खंड को छोड़कर}, नई रारा सं. 150 (कर्नाटक सीमा के दोनों ओर), नई रारा सं. 161वी, नई रारा सं. 353वी, नई रारा सं. 363, नई रारा सं. 365ए [कोदाद (नई रारा सं. 65) - खम्मम - कर्वी/महबूबाबाद (नई रारा सं.	तेलंगाना राज्य सरकार”

365 तक)], नई रारा सं. 365बी ,नई रारा सं. 563, नई रारा सं. 161बीबी और नई रारा सं. 765डी के उतने भाग जो तेलंगाना राज्य में अवस्थित हैं।	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

[फा.सं. एनएच-14013/9/2014-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), दिनांकित 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसे पिछली बार अधिसूचना सं.का.आ. 1819(अ), दिनांकित 08.05.2018 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th May, 2018

S.O. 1970(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O.1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 34 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TABLE

(1)	(2)	(3)
“34	So much of National Highways No. 7 [from Km 9.4 to Km 22.300 (Hyderabad-Bangaluru section), No. 9 [New NH 65 excluding from Km 40.000 to AP Border and from km 423.800 to km 493.000 (Karnataka Border – Sangareddy section), No. 16 (new NH No.63) new NH No. 163,[excluding from Km 18.600 to Km 150.00 (Hyderabad-Yadgiri-Warangal section], No.221[(New NH No.30)[excluding from Km 71.200 to Km 121.00(AP Border to Rudrampur Section)], No.222 [New NH No.61] (Maharashtra Border to Jagityal) (New NH-44)] {[excluding from Km 615.00 to Km 665.60] Mah/AP border Kalyan-Nirmal Section}, New NH No.167, New NH No. 353C [from Sironcha (Maharastra border) to Atmakur (New NH 163)], New NH No.565 [from AP Border-Nalgonda- Nakrekal (New NH-65)], New NH No.765 {excluding from km 23.00 to km 108.800 (Hyderabad –Dindi Section)}, New NH No.365 {[excluding from Km 72.60 to Km 121.00 (tannamcherla-Jamandlapally section) and from Km. 154.00 to 187.00 Mangalwarpet-Mallampalli Section} } , New NH No.150 (within Karnataka Border on either side), New NH No. 161B, New NH No.353B, New NH No.363, New NH No.365A [from Kodad (New NH-65) – Khammam-Karvi/Mahbubabad (New NH-365)], new NH No. 365B ,New NH No.563, new NH No. 161BB and new NH No. 765D as are situated within the State of Telangana.	State Government of Telangana.”

[F.No.NH-14013/9/2014-P&M
RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Note:- The principal notification was published *vide* number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended *vide* number S.O. 1819 (E), dated the 8th May, 2018.